




INDIA NON JUDICIAL



IN-UP15282791697395V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP15282791697395V
 Certificate Issued Date : 27-Dec-2023 01:28 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14256304/ RAEBARELI SAJ/R/ UP-RAE
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1425630426525885471174V
 Purchased by : JAIRAM SINGH SO GANGA SINGH
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : JAIRAM SINGH SO GANGA SINGH
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : JAIRAM SINGH SO GANGA SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



जायम सिंह

(घोषणा-पत्र)

मैं/हम सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देते हूँ/देते हैं कि :-

(क) मैं/हम पत्रद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं हम अनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ करने के लिए से 2 वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ/रखते हैं।

(ख) मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्हीं उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबंधों का इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबंधों से जहाँ तक कि यह प्रयोज्य है बाध्य होने को सहमत हूँ/हैं।

(ग) मैं/हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथित वितरण संहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(घ) मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे हैं उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।

(ङ) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात इस संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है।

च) जमा योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से उ०प्र० पावर कार्पो०नि०लि० द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

छ) उपरोक्त कारणों वश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रयोग होने वाली निगम की सामग्री जिसका पैसा उ०प्र०पा०कार्पो०नि०लि० के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ज) उपभोक्ता को पूर्व में स्थापित परिवर्तक से एल०टी०लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु छूट के अतिरिक्त निगम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अधिसाक्षी अभियन्ता
 वित्त वितरण खण्ड-तृतीय
 बालगंज-रायबरेली